मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 5742–4जी0एस0–I–72/29726 दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 की प्रति ।

विषय : 55 वर्ष आयु से आगे सरकारी कर्मचारियों को सेवा में रखना । सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवा निवृत पूर्व अवकाश प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6798–4जी0एस0–I–71/37215, दिनांक 29–12–71 की ओर दिलाऊं और यह कहूं कि सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार किया है और निर्णय लिया है कि उपरोक्त हिदायतों को इस हद तक संशोधित किया जाए कि 55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत किए जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को नोटिस का समय समाप्त होने पर रिटायरमैंट की तिथि के बाद के पीरियड के लिए सेवा निवृत पूर्व छुट्टी का लाभ 180 दिन की बजाए 120 दिन तक ही सीमित रखा जाए । यदि ऐसा कर्मचारी/अधिकारी नोटिस के समय में सेवा निवृत निवृति पूर्व छुट्टी लेता है तो छुट्टी उसकी 180 दिन की देय एवं स्वीकार्य अवकाश से घटा दी जाएगी तथा शेष छुट्टी का लाभ रिटायरमैंट के बाद दिया जाएगा, किन्तु बाद में दिए जाने वाले छुट्टी के लाभ की अवधि 120 दिन तक ही सीमित रहेगी तथा यदि उसने रिटायरमैंट से पहले नोटिस पीरियड में छुट्टी न ली हो तो उसे रिटायरमैंट की तिथि से 120 दिन तक सेवा निवृति पूर्व छुट्टी का ही लाभ मिल सकेगा जिसके दौरान उसे लीव सैलरी माईनस पैन्शन मिलेगी ।

2. यह पत्र वित्त विभाग की अनुमति (अशा: क्रमांक 5144–5एफ0आर0–72, दिनांक 22–9–72) के साथ जारी किया जाता है । यह आदेश उन कर्मचारियों/अधिकारियों के केस में लागू होंगे जो इन के जारी होने के बाद की तिथि से रिटायर होंगे तथा जिन्हें पिछली हिदायत के तहत छुट्टी मंजूर नहीं की जा चुकी है ।

3. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेश आपके अधीन काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में उनके मार्गदर्शन के लिए लाया जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

हस्त/–

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं/मु0स0